न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर॰ए॰एस॰

राजस्व वाद संख्या :– 46/2025

राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राजस्थान)

.........वादी.........

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. कमलसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
3. कैलाशसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
4. किरणकंवर पत्नी लिछमणसिंह दरोगा निवासीनी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
5. तेजपालसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
6. भगवानसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
7. मानसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
8. मालसिंह पुत्र लिछमणसिंह दरोगा निवासी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज॰)
9. श्रीमान् शाखा प्रबधंक महोदय, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा चाड़वास तह॰ बीदासर जिला–चूरू (राज॰)

...........प्रतिवादीगण...........

दावा घोषणात्मक

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री अमरसिंह राठौड़, गोवर्धनसिंह राठौड़ वादी की ओर से
(2) प्रतिवादी सं॰ 2, 3, 5, 6 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय,
(3) विद्वान अधिवक्ता श्रीरजत पाण्डे प्रतिवादीगण सं॰ 4, 7 व 8 की ओर से
(4) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 30-5-25

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम खेत खसरा संख्या 1055/420 (एक हजार पचपन बट्टा चार सौ बीस) भूमि तादादी 5.2609 (पांच प्वॉईट दो छः जीरो नो) हैक्टेयर वाके रोही चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान मे वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 2 (दो) ता 8 (आठ) के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग मे चली आ रही है। जिसमे वादी का मुताबिक रिकॉर्ड 1/8 (एक बट्टा आठ) हिस्सा भूमि है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में उपरोक्त खसरा की भूमि की खातेदारी वादी राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह जाति दरोगा के नाम से राजस्व रेकॉर्ड मे खातेदारी चली आ रही है जो अशुद्ध है वादी के पिता लक्ष्मण सिंह का स्वर्गवास हुआ उस वक्त राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश वादी का नाम राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का शुद्ध नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह था। वादी के नाम से आधार कार्ड है उक्त आधार कार्ड मे वादी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है तथा वादी के पास अन्य सरकारी दस्तावेजात जन आधार कार्ड संख्या 5043472507 में वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, परिवार राशन् कार्ड संख्या 01280 में वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, पेन कार्ड संख्या QNBPS0907Q में वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र RJ/03/017/114396 में वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह, विद्यालय टी॰सी॰/अंकतालिका, वोटर लिस्ट आदि दस्तावेजात मे है। उक्त सभी दस्तावेजात में वादी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज है जो सही व शुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

नाम है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे वादी का नाम राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह अशुद्ध होने के कारण वादी वर्तमान गलत राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर वादी अपना सही व शुद्ध नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की घोषणा करवाने का अधिकारी है। गलत राजस्व रेकॉर्ड के रहते हुये वादी को अपूर्तिय क्षति होगी और वादी को सरकारी लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने दिनांक 21.03.2025 (इक्कीस मार्च सन् दो हजार पच्चीस) को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि आप वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे मेरा जो गलत व अशुद्ध राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह नाम दर्ज है को सही व दुरूस्त कर सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। जिस पर वादी ने दावा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन पंजीकृत डाक से तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 2, 3, 5, 6 व 9 न्यायालय में उपस्थित नही होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 4, 7 व 8 ने दिनांक 24.04.2025 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। राजपैरोकार ने अपना जबाब राज्य हित निहित नहीं होना पेश (अंकित) किया।

बहस अंतिम सुनी गयी वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का शुद्ध व सही नाम दस्तावेजात के आधार पर राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह है जो उक्त दस्तावेजात से साबित है, वादी का दावा डिक्री किया जावे। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सुक्षमता से अवलोकन किया तो उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह साबित है कि वादी का वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह अशुद्ध नाम है, वादी का शुद्ध व सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह है। वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर वादी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह नाम की घोषणा वादी राजस्व रेकॉड में करवाने का अधिकारी है। वादी का घोषणात्मक दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का घोषणात्मक दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 1055/420 वाके रोही चाड़वास के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक ....30/5/25.......... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

आन्तम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूप 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

दावा घोषणात्मक

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हाजरी श्री अमरसिंह राठौड़, गोर्वधनसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुद्दई व राजपैरोकार उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 व 9 के विरूद्ध एक तरफा व श्री रजत पाण्डे प्रतिवादी संख्या 4, 7 व 8 की ओर से उपस्थित मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वर्तमान खेत खसरा नंबर 1055 / 420 वाके रोही चाड़वास के राजस्व रेकॉर्ड में वादी का राजूसिंह पुत्र लिछमणसिंह अशुद्ध नाम है, जिसे दुरूस्त कर सही व शुद्ध नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह दर्ज किये जाने का प्रतिवादी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज..मुबलिग..बाबत....................................खर्चा
इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....फीसदी
सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....को
अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30-4-25

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)
ओहदा......................

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)